संख्या-3/2017/1420/60-1-17-1/13 (106)/12

प्रेषक,

पंचम राम,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक **31** मई, 2017

विषयः- आई0सी0पी0एस0 योजना के अन्तर्गत आच्छादित स्वैच्छिकसंगठन ''पूर्ववासी ग्रामीण उत्थान विकास सेवा समिति'' नरोईया छानबे, मीरजापुर में संचालित बाल गृह (बालिका) को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रथम किश्त (अप्रैल, 2017 से जून 2017) हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-349/म0क0निदे0/ प्रोबे0/स्वै0सं0/ 2017-18, दिनांक 22.05.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत उक्त स्वैच्छिक संस्था को प्रथम प्रथम किश्त (अप्रैल, 2017 से जून 2017) के रूप में प्राविधानित धनराशि रू0 70000000/- के सापेक्ष बाल गृह (बालिका) हेतु रू0 5,64,750/- (रू0 पांच लाख चौसठ हजार सात सौ पचास मात्र) की धनराशि की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0स0	मानक मद	प्राविधान (धनराशि रूपये में)	प्रस्तावित (धनराशि रूपये में)
1.	20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन)	70000000/-	रू0 5,64,750/- (रू0 पांच लाख चौसठ हजार सात सौ पचास मात्र)
	कुल योग	70000000/-	रू0 5,64,750/- (रू0 पांच लाख चौसठ हजार सात सौ पचास मात्र)

2- उपर्युक्त व्यय अनुदान संख्या-49 के लेखाषीर्शक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाजकल्याण-102-बालकल्याण-01-केन्द्रीयआयोजनागत/केन्द् द्वारा पुरोनिधानित योजनायें -0117-स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बाल गृह (बालक /बालिका) का संचालन (के0 60/रा0 30/स्वै0 10-के0+रा0+स्वै0) -20- सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण निदेशालय महिला कल्याण के माध्यम से किया जायेगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0-3/2017/ बी-1/ दस-2017/231/2017 दिनांक 20.03.2017 में पारित निदेशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पंचम राम)
अनु सचिव।

संख्या-3/2017/1420(1)/60-1-16, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3 ।
6- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2 ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पंचम राम)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।